

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229655
SG-DL-E-15092021-229655

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 176
No. 267]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943	[N. C. T. D. No. 176

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 सितम्बर, 2021

सं. फा. 6/23/2017-न्याय/पार्ट फाईल/अधी.विधि./912-918:-अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 18 के उपबंधों एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के डी.ओ. प्रत्रांक सं. 814/डीएचसी/राज./डीजेएस परिश्रा- 2017/2018 दिनांक 19.02.2020 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री शशांक नन्दन भट्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किए जाने पर अपने कार्यालय में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं।

- उपर्युक्त नियुक्ति अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी।
- दिल्ली न्यायिक सेवा में उपर्युक्त अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान वही रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें दी गई है।

4. पद का वेतनमान 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 रुपये (पूर्व संशोधित) + सामान्य भत्ते जैसा समय-समय पर इस संबंध में लागू हो के अनुसार है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 14th September, 2021

No. F.6/23/2017-Judl./P.F./Suptlaw/912-918.—In pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and D.O. letter No.814/DHC/Gaz./DJS Exam-2017/2018 dated 19.02.2020 of Hon'ble High Court of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Mr. Shashank Nandan Bhatt as member of the Delhi Judicial Service on probation for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office on being posted by the Delhi High Court, New Delhi. This appointment is on purely provisional basis.

2. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Judicial Service from time to time.

3. The inter-se seniority of the above named candidate in the Delhi Judicial Service vis-à-vis other selected candidates will remain the same as assigned to them in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.

4. The post carries the scale of pay of Rs.27700-770-33090-920-40450-1080-44770 (Pre-Revised) plus usual allowances as may be applicable in this behalf from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & LA)